FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम (SDO) बायतु

रेखाराम बनाम खरथाराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० आवेदन 131, 136 RLR नं. 297/2021 सन् 2021

<table>
<tr><th>तारीख हुक्म</th><th>हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</th><th>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</th></tr>
<tr><td>22/09/2021</td><td>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री घमण्डाराम सारण ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 131, 136 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 10/12/2021 को पेश हो।
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु</td><td></td></tr>
<tr><td>10/12/2021</td><td>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण को नोटिस तामील रिपोर्ट तामील अप्राप्त। इन्तजार हो। तहसीलदार बायतु को मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी होकर पत्रावली दिनांक 18/01/2022 को पेश हो।
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु</td><td></td></tr>
<tr><td>18/01/2022</td><td>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण को नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार बायतु से मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 28/02/2022 को पेश हो।
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु</td><td></td></tr>
</table>

28/02/2022 प्रार्थी वकील उपस्थित / विपक्षी संख्या-1 की ओर से वकील श्री रिछपाल सियाग द्वारा वकालतनामा मय ईकबाली जवाब पेश किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। शेष विपक्षीगण संख्या-2 से 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली व पत्रावली में प्राप्त मौका रिपोर्ट पर प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन प्रार्थी का आवेदन व मौका रिपोर्ट स्वीकार की जाकर आदेश अलग से लिखा गया व शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली अमल दुरुस्त होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला–बाड़मेर

पीठासीन अधिकारीः– जगदीश सिंह आशिया आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या– 297 / 2021

प्रार्थीगण

1. रेखाराम पुत्र आईदानराम
2. भोमाराम पुत्र आईदानराम
3. हेमाराम पुत्र पदमाराम
4. रामाराम पुत्र पदमाराम
   जातियान् जाट निवासी मदरूपोणियों की ढाणी, पनावड़ा तहसील बायतु जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थी

1. खरथाराम पुत्र सोनाराम
2. पुरखाराम पुत्र सोनाराम
3. चन्द्रादेवी पत्नि भंवरलाल
4. शांतिदेवी पत्नि हरीराम
   जाति जाट निवासी मदरूपोणियों की ढाणी, पनावड़ा तहसील बायतु जिला बाड़मेर
5. तहसीलदार बायतु जिला बाड़मेर

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956.

आदेश

दिनांकः– 28/02/2022

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता श्री घमण्डाराम सारण एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी संख्या 1 का खातेदारी खेत मौजा मदरूपोणियों की ढाणी पटवार मण्डल पनावड़ा तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 568 / 116, 617 / 568 रकबा क्रमशः 5.5255, 0.7686 हैक्टेयर व प्रार्थी संख्या 2 से 4 के संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 569 / 116 रकबा 6.4720 हैक्टेयर का आया हुआ है। जिसमें से प्रार्थी संख्या 1 स्वंय ने व प्रार्थी संख्या 2 से 4 के पिता पदमाराम ने विप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 व उनके पूर्वजों से जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र के खरीद की थी जिसकी लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम मौके पर मौजूद कब्जा काश्त के अनुसार नहीं कर गलत तरमीम कर दी गई। प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के खेतों की बीच लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम व मौके पर पक्षकारान् के मौजूद कब्जा काश्त में भारी अन्तर है। प्रार्थी द्वारा तरमीम दुरस्ती हेतु यह आवेदन पेश किया गया। प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर विप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल शुद्धा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या–4 की ओर से वकील श्री रिणछाराम सियाग द्वारा वकालातनामा मय ईकबाली जवाब पेश कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के सम्बन्ध में सहमती दी गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण संख्या– 2 से 4 बावजुद तामिल अनुपस्थित

(SDO) बायतु

रहे, जिनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा तहसीलदार बायतु से मौका रिपोर्ट तलब की गई, तहसीलदार बायतु से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

तहसीलदार, बायतु से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार, बायतु द्वारा मौका रिपोर्ट में वर्तमान कब्जा काश्त अनुसार तरमीम प्रस्तावित की गई है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी व राजस्व अभिलेख तथा मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। अतः बहस सुनने व उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मौजा मदरूपोणियों की ढाणी पटवार मण्डल पनावड़ा तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 568/116, 617/568, 569/116 की पूर्व में की गई तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार बायतु द्वारा मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा ब के अनुसार तरमीम शुद्व करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बायतु आदेशानुसार तरमीम किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार हो, नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो ।

आदेश आज दिनांक 28/02/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु